न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/107/2023 रजू दिनांकः 17.08.2023 रजि0 न0 2023/640

अपीलार्थीः–

श्री राधेश्याम कोली (एडवोकेट), निवासी शिव नगर, 160 फीट रोड़, नियर गोयल हॉस्पिटल अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 18.09.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 28.08.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी/प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/1544 दिनांक 04.09.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जाकर अवगत कराया है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक 12.08.2023 के माध्यम से प्रभारी अधिकारी (राजस्व) प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर को पत्रांक 1064 दिनांक 03.07.2023 के माध्यम से सूचना प्रेषण हेतु अग्रेषित किया गया किन्तु समयान्तर में सूचना अप्राप्त रहने के कारण समय पर सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है। अब अति0 जिला कलक्टर प्रथम, एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर के पत्रांक राजस्व/लो.सू.अ./2023/11237 दिनांक 31.08.2023 के माध्यम से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को भिजवाते हुए अवगत कराया जा चुका है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज सैन)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)